

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा
पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई,
फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 17.08.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।



- पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद के थानों की एण्टी रोमियो टीमों द्वारा चलाया गया 'मिशन शक्ति' एवं 'साइबर जागरूकता' अभियान।
- महिलाओं एवं बालिकाओं से वार्ता कर पंपलेट आदि के माध्यम से विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों, गुड टच-बैड टच एवं महिला केन्द्रित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।

महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा, सम्मान, स्वावलम्बन, सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 17.08.2025 को मिशन शक्ति अभियान (फेज-05) के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा के थाना चरखारी एवं महिला रिपोर्टिंग चौकी चरखारी की एण्टी रोमियो टीम द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में पड़ने वाले सार्वजनिक स्थलों में जाकर वहां मौजूद बच्चियों तथा महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति एवं शक्ति दीदी अभियान के अन्तर्गत जागरूक किया गया साथ ही साइबर अपराधों के बारे में भी जानकारी दी गई।

अभियान के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं/बालिकाओं के लिए समर्पित विभिन्न सेवाओं/हेल्पलाइन नम्बरों (ट्वीटर सेवा, डॉयल-112, हेल्प लाइन-181, वुमेन पावर लाइन-1090, चाइल्ड हेल्प लाइन-1098, सी0एम0 हेल्पलाइन-1076, वन स्टॉप सेन्टर-181, स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन-102, एंबुलेंस सेवा-108 आदि) तथा जनसुनवाई पोर्टल, स्थानीय थाने पर महिला हेल्प डेस्क आदि के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए पंपलेट आदि के माध्यम से जागरूक किया गया तथा महिला केन्द्रित विभिन्न सरकारी योजनाओं (निराश्रित महिला पेंशन योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान योजना, महिला शक्ति केन्द्र योजना आदि) के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए जागरूक किया गया।



पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में “ऑपरेशन क्लीन टू” अभियान के अंतर्गत थाना खन्ना पुलिस द्वारा मुकदमे से सम्बन्धित 01 वाहन का किया गया निस्तारण।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17.08.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती वन्दना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह की देखरेख में थाना स्थानीय पर गठित टीम द्वारा “ऑपरेशन क्लीन टू” अभियान के क्रम में थाना परिसर में खड़े लावारिस वाहनों के निस्तारण की कार्यवाही की गई।

इस क्रम में मु0अ0सं0 50/24 धारा 279/304ए भादवि से संबंधित मुकदमे में वादी की मोटरसाइकिल हीरो एचएफ डीलक्स नं0 UP90S6927, इंजन नं0 HA11EMJ9L20798, चैसिस नं0 MBLHA7150J9L19950 का आरटीओ कार्यालय महोबा से सत्यापन कराया गया। सत्यापन उपरान्त वाहन स्वामी प्रिंसु पुत्र दुर्विजय सिंह निवासी ग्राम सैमरा, जनपद बाँदा का पता ज्ञात हुआ।

नोटिस की विधिवत तामीला उपरान्त वाहन स्वामी थाना उपस्थित हुए, जिनको नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए उक्त वाहन सुपुर्द किया गया। इस प्रकार थाना खन्ना पुलिस द्वारा नियमानुसार एक वाहन का निस्तारण किया गया।

माल निस्तारण कराने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह
2. उ0नि0 सुरेश सचान
3. हे0मु0 सुरेन्द्र सिंह



थाना चरखारी की पुलिस टीम ने डी.पी. एक्ट से सम्बन्धित

01 नफर वाछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध एवं अपराध की रोकथाम एवं वाछित/वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी एवं बरामदगी अभियान के क्रम में आज दिनांक- 17.08.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी, श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चरखारी श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा गठित 30नि0 चन्द्रशेखर सिंह मय हमराह हे0कां0 प्रमोद कुमार व कां0 संदीप कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 139/25 धारा 85/115(2)/351(3)/352 BNS व 3/4 DP ACT व 3/4 मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम 2019 से सम्बन्धित 01 नफर वाछित अभियुक्त एहसान पुत्र मो0 जहीर उम्र करीब 38 वर्ष निवासी मु0 तुर्कियाना कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा को कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त -

एहसान पुत्र मो0 जहीर उम्र करीब 38 वर्ष निवासी मु0 तुर्कियाना कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1.30नि0 चन्द्रशेखर सिंह
- 2.हे0कां0 प्रमोद कुमार
- 3.कां0 संदीप कुमार



"श्रीकृष्ण जन्माष्टमी" के पावन अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा श्रीकृष्ण जन्मोत्सव को पुलिस लाइन अवस्थित मंदिर में विधि विधान से हवन पूजन कर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, साथ ही जनपद के विभिन्न थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ भव्य आयोजन-

पुलिस लाइन महोबा में श्री प्रबल प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस लाइन अवस्थित मंदिर परिसर पहुंचकर पुलिस परिवार के साथ विधि विधान से हवन पूजन कर परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना करते हुए हर्षोल्लास के साथ श्रीकृष्ण जन्मोत्सव को मनाया गया, पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त पुलिस कर्मियों को प्रसाद वितरण कर जन्माष्टमी पर्व की शुभकामनाएं दी गयी।

पुलिस लाइन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं का मंचन, भक्ति गीत एवं नृत्य प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के दौरान सभी ने भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति-आराधना की तथा समाज में शांति, सौहार्द एवं समृद्धि की मंगलकामना की इस दौरान संपूर्ण आयोजन श्रद्धा, अनुशासन एवं पारिवारिक वातावरण में सम्पन्न हुआ।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे, प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवकुमार, सहित अन्य अधि./कर्म. मौजूद रहे।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस के प्रत्येक थानों में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की धूम रही, इस दौरान श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़ें ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें स्थानीय कलाकरों ने एक से बढ़कर एक श्रीकृष्ण भक्ति गीतों, जवाबी कीर्तन, गायन कर अनोखी छटा बिखेरी। इस दौरान श्याम भजनों पर हर कोई राधा-कृष्ण के भक्तिभाव से मनमोहक होकर ओतप्रोत हो गया।



महोबा पुलिस की बड़ी सफलता : चोरी करने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश, 03 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी की मोटरसाइकिल व अवैध तमंचा/कारतूस बरामद



पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बड़ी सफलता हाथ लगी है।

आज दिनांक 17.08.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम ने भटीपुरा चौकी प्रभारी उ0नि0 रोशन गुप्ता के नेतृत्व में कार्रवाई कर चोरी की मोटरसाइकिल घटना (मु0अ0सं0 346/25 धारा 303(2) बीएनएस) का सफल खुलासा किया गया है। घटना में संलिप्त 03 अभियुक्तों को शाहपहाड़ी के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया

गया। अभियुक्तों के कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल (UP95 E 1867, सीडी डीलक्स) तथा अभियुक्त रोहित से 01 अदद तमंचा 315 बोर व एक कारतूस बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.टिंकू बाबा उर्फ राज वर्मा पुत्र हरप्रसाद वर्मा (22 वर्ष) निवासी पुराने प्राइवेट बस स्टैंड के पास गांधी नगर, थाना कोतवाली नगर महोबा 2.सुमित पुत्र रामदास सिंह (20 वर्ष) निवासी गांधी नगर, पस्तोर गली परमानंद चौराहा, थाना कोतवाली नगर महोबा 3.रोहित वर्मा पुत्र छोटेलाल (20 वर्ष) निवासी गांधी नगर, शुक्रवारी बाजार के सामने, थाना कोतवाली महोबा

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 रोशन गुप्ता, चौकी प्रभारी भटीपुरा
- उ0नि0 अभिषेक पटेल
- हे0का0 अमित नागर
- हे0का0 जगबीर सिंह
- का0 नरेन्द्र कुमार
- का0 दिलीप कुमार
- का0 दीपेश कुमार

आपराधिक इतिहास-

1. टिंकू बाबा उर्फ राज वर्मा

मु0अ0सं0 241/2020 धारा 13 जी, थाना कोतवाली नगर महोबा
मु0अ0सं0 532/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना कोतवाली नगर महोबा
मु0अ0सं0 199/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना चरखारी महोबा
मु0अ0सं0 161/2025 धारा 115(2)/118(1)/351(2) बीएनएस, थाना कोतवाली महोबा
मु0अ0सं0 401/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना कोतवाली नगर महोबा
मु0अ0सं0 346/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना कोतवाली नगर महोबा

2. सुमित पुत्र रामदास सिंह

मु0अ0सं0 28/2024 धारा 380/411/457 भा.द.वि., थाना कोतवाली नगर महोबा
मु0अ0सं0 059/2022 धारा 380/411 भा.द.वि., थाना कोतवाली नगर महोबा
मु0अ0सं0 64/2022 धारा 380/411/457 भा.द.वि., थाना कोतवाली नगर महोबा
मु0अ0सं0 297/2017 धारा 401 भा.द.वि., थाना कोतवाली नगर महोबा
मु0अ0सं0 387/2024 धारा 305/317(2)/331(4) बीएनएस, थाना कोतवाली महोबा
मु0अ0सं0 438/2022 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना कोतवाली नगर महोबा
मु0अ0सं0 511/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना कोतवाली नगर महोबा
मु0अ0सं0 380/457/511 भा.द.वि., थाना कोतवाली नगर महोबा

3. रोहित वर्मा पुत्र छोटेलाल

मु0अ0सं0 227/2022 धारा 380/411/457 भा.द.वि., थाना कोतवाली नगर महोबा
मु0अ0सं0 387/2024 धारा 305/317(2)/331(4) बीएनएस, थाना कोतवाली नगर महोबा
मु0अ0सं0 438/2022 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना कोतवाली नगर महोबा